को चिह्नित किया गया है। इनमें से कुल 1 लाख 08 हजार 634 पर्चाधारियों को दखल कब्जा दिलाया जा चुका है।

- वर्ष 2017 में बिहार राज्य से संबंधित राजस्व मानचित्रों की आपूर्ति प्रारंभ करने हेतु योजना की शुरुआत की गयी।
- वर्ष 2017 में राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना की स्थापना की गयी।
- दिसम्बर, 2017 में बिहार भूमि पोर्टल की शुरुआत की गयी तथा पहली बार 45 अंचलों की जमाबंदी डिजीटाईज्ड करते हुए ऑनलाईन म्यूटेशन की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी।
- अक्टूबर, 2018 तक सभी 534 अंचलों की जमाबंदी डिजीटाईज्ड करते हुए ऑनलाईन म्यूटेशन की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी।
- वर्ष 2018 में राजस्व लगान लेने के लिए ऑनलाईन प्रक्रिया प्रारंभ करते हुए नेटबैंकिंग एवं एस.बी.आई. डेबिट कार्ड के माध्यम से विभिन्न बैंकों से समन्वय स्थापित कर भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी।

  वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 180.49 करोड़ भू-लगान रसीद निर्गत किये गये जिसके तहत कुल 159 करोड़ रुपये भू-लगान के रुप में सरकार को प्राप्त हुआ है।
- वर्ष 2019 में राजस्व विभाग के अन्तर्गत 152 राजस्व अधिकारी तथा वर्ष 2020 में 17 राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष पद पर नियुक्ति की गयी।
- वर्ष 2020 में भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र (एल.पी.सी.) हेतु ऑनलाईन सेवा प्रारम्भ की गयी। इसके माध्यम से कोई भी रैयत ऑनलाईन आवेदन कर अपनी भूमि का भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकता है।

  ऑनलाईन एल0पी0सी0 के तहत कुल 13,20,467 आवेदन में से 13,10,199 आवेदनों का निष्पादन किया गया है।
- वर्ष 2020 में परिमार्जन पोर्टल का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत ऑनलाईन प्रकाशित डिजिटाईज्ड जमाबंदी पंजियों में यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो तो सुधार के लिए ऑनलाईन शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रारंभ की गयी।

  परिमार्जन पोर्टल के तहत अब तक कुल 43.98 लाख प्राप्त आवेदनों में से 42.93 लाख आवेदनों का निष्पादन किया गया है।

वर्ष 2020 से अब तक

- वर्ष 2021 में राजस्व विभाग के अन्तर्गत 517 राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष पद पर नियुक्ति की गयी।
- वर्ष 2021 में ऑनलाईन दाखिल-खारिज की वेबसाइट 'बिहारभूमि' को नए तेवर और कलेवर में दुबारा लांच किया गया। अब मोबाईल के माध्यम से भी इस वेबसाईट का उपयोग किया जा सकता है।
- वर्ष 2021 में दाखिल खारिज की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए स्वतः संज्ञान भूमि दाखिल-खारिज (SUO-MOTO ONLINE MUTATION) के प्रक्रिया की शुरुआत की गयी है। अब जमीन की रजिस्ट्री के साथ ही उसके दाखिल-खारिज की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है।
- वर्ष 2021 में ULPIN (Unique Land Parcel Identification Number) की विधिवत शुरुआत की गयी। इसके तहत हरेक प्लॉट (खेसरा) को एक यूनिक (अद्वितीय) नम्बर दिया जाना है।
- अगस्त, 2021 से भूमि सुधार उप समाहर्त्ता की अपीलीय न्यायालय को ऑनलाईन कर दिया गया। इस सुविधा के द्वारा किसी भी स्थान से भूमि सुधार उप समाहर्त्ता न्यायालय में अपील किया जा सकता है। अबतक कुल 1,22,820 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 47,759 आवेदनों का निष्पादन किया गया।
- 31 जुलाई, 2018 से बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन पर माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई थी। इसके उपरांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 30 सितंबर, 2019 के आदेश में इस रोक को हटा दिया गया। विभाग द्वारा 2 साल बाद यानि 15 सितंबर, 2021 से इस अधिनियम का क्रियान्वयन पुनः प्रारंभ किया गया है। अब तक कुल 19,741 आवेदनों में से 12,814 आवेदनों का निष्पादन किया गया है।
- बिहार में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्य एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राजस्व प्रशासन में किये जा रहे नये प्रयोगों के बारे में अन्य राज्यों को अवगत कराने तथा अन्य राज्यों

बाल विवाह एवं दहेज से संबंधित सूचना टॉल फ्री नं. 181 पर दें।

में भू-सर्वेक्षण एवं राजस्व प्रशासन के लिए अपनायी जाने वाली नवीनतम तकनीकों के अध्ययन एवं ज्ञान के आदान-प्रदान के उद्देश्य से अक्टूबर 2021 में "जमीनी बातें" कार्यक्रम प्रारम्भ की गयी। इसके अन्तर्गत मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, गोवा, उत्तरप्रदेश, गुजरात, आंध्रप्रदेश, आई.आई.टी. रुड़की आदि के राजस्व संबंधी विशेषज्ञों से संवाद स्थापित किया गया।

- वर्ष 2021 में "जमीनी बातें" कार्यक्रम के दूसरे चरण में बिहार से बाहर रह रहे नागरिकों को बिहार में राजस्व प्रशासन एवं विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम में अपनाये जाने वाले आधुनिक तकनीकों की जानकारी देने हेतु विशेष अभियान चलाया गया ताकि ऑनलाईन के माध्यम से बिहार से बाहर रह रहे नागरिक अपनी समस्याओं का निदान के साथ-साथ ऑनलाईन सेवाओं की जानकारी बिहार में बिना आए कर सके। इस हेतु दिल्ली में रह रहे बिहार के निवासियों एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बिहार के अप्रवासियों के साथ संवाद स्थापित किया गया।
- वर्ष 2022 में राजस्व विभाग के अन्तर्गत 62 राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष पद पर नियुक्ति की गयी।
- वर्ष 2022 में बिहार कर्मचारी चयन आयोग से अनुशंसित 4325 राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी।
- इस क्रम में 2019 के बाद अबतक कुल 596 राजस्व अधिकारी, 4 हजार 325 राजस्व कर्मचारी तथा 1 हजार 761 अमीनों की नियुक्ति की गई।
- सितम्बर, 2022 में राजस्व नक्शों की डोर स्टेप डिलीवरी योजना प्रारंभ की गयी। इस योजना के अन्तर्गत रैयतों/भू-धारियों से ऑनलाईन ऑर्डर प्राप्त कर उनके घर पर ही राजस्व मानचित्र की डिजिटाईज्ड प्रति उपलब्ध करायी जा रही है।
- राजस्व नक्शों की डोर स्टेप डिलीवरी योजना अन्तर्गत अबतक कुल 22,674 आवेदकों को डिजिटाईज्ड मानचित्रों की आपूर्ति की जा चुकी है।
- राजस्व पदाधिकारियों/कर्मचारियों को आधुनिक उपकरणों एवं आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वर्ष 2022 में राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया में प्रशिक्षण भवन का जीर्णोद्धार करते हुए नये भवन का भी निर्माण कराया गया है।
- वर्ष 2022 में राज्य के विभिन्न जिलों के अभिलेखागारों एवं अंचल कार्यालयों में पूर्व से संधारित सभी भू-अभिलेखों, पंजियों एवं दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से स्कैनिंग एवं डिजिटाईजेशन कार्य प्रारंभ किया गया है। अब तक 15 करोड़ पेज राजस्व अभिलेखों का स्कैनिंग एवं 3 करोड़ पेज का डिजिटाईजेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही डेटा मैनेजमेंट सिस्टम भी तैयार किया गया है।
- वर्ष 2023 में डाटा मैनेजमेंट सिस्टम के अन्तर्गत bhuabhilekh.bihar.gov.in पोर्टल के माध्यम से जितने भी अभिलेख स्कैन एवं डिजिटाईज्ड हुए हैं, जिसकी डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति आम नागरिक/रैयत मामूली शुल्क नेट बैंकिंग, यूपीआई एवं डेबिट कार्ड के माध्यम से जमा कर ऑनलाईन प्राप्त कर सकते हैं।
- वर्ष 2022 में राज्य में रैयतों से संबंधित जमाबंदी में रैयतों के स्वैच्छिक आधार पर मोबाईल एवं आधार संख्या सीडिंग अभियान प्रारम्भ किया गया ताकि उनके जमीन से संबंधित किसी भी प्रकार की गतिविधि होती है तो उनको SMS अलर्ट जा सके।
- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा वर्ष 2023 में एक पोर्टल बनाया गया, जिसके माध्यम से बिहार की सभी जमाबंदियों को देश के सभी अधिसूचित भाषाओं में देखने की सुविधा उपलब्ध है।
- **वर्ष 2023 में चतुर्थ कृषि रोड मैप लागू किया गया।** राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत संधारित डिजिटाईज्ड राजस्व मानचित्रों के बहुपयोगी उद्देश्य से राजस्व मानचित्रों का जियो-रेफरेंसिंग किया जा रहा है।
- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जितने भी ऑनलाईन सुविधायें प्रारंभ की गयी है यथा दाखिल खारिज एवं अन्य ऑनलाईन सेवाओं को एकीकृत एवं सहज बनाने के उद्देश्य से इंटिग्रेटेड लैंड रिकार्ड मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत स्पेशल म्यूटेशन सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है जिसके माध्यम से म्यूटेशन के पश्चात् रकवा के साथ-साथ मैप का भी अद्यतीकरण किया जा सकता है।
- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अप्रैल, 2023 में लैंड मोर्गेज पोर्टल विकसित किया गया। इस पोर्टल में सारे बैंकर्स भूमि के विरुद्ध लिये गये लोन की इन्ट्री करते हैं। यदि कोई

बेटा-बेटी एक समान। दहेज-प्रथा करे सबका अपमान ।।

रैयत जमीन की खरीद करता है तो वह इस पोर्टल के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकता है कि जमीन पर किसी प्रकार का लोन है कि नहीं। साथ ही कोई व्यक्ति किसी जमीन पर एक से अधिक बैंक से लोन नहीं ले सकेगा।

- आई.आई.टी. रुड़की द्वारा एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, जिसके माध्यम से जमीनों की खरीद बिक्री के पश्चात रकवा के म्यूटेशन के साथ-साथ राजस्व नक्शे का भी रियल टाईम ऑनलाईन म्यूटेशन किया जा सकेगा। इस योजना के अन्तर्गत रकवे के साथ उस रकवे के हिसाब से नक्शा भी बन जाने से भूमि विवाद में काफी कमी आएगी।
- वर्ष 2023 में दाखिल खारिज प्रक्रिया के त्वरित व समय निष्पादन हेतु FIFO (First in First out) अर्थात पहले आओ, पहले पाओ की व्यवस्था लागू की है। यह सुविधा वास्तविक रुप से समाजवादी व्यवस्था का उत्तम उदाहरण है क्योंकि इसमें गरीब-अमीर, शिक्षित-अशिक्षित आदि किसी भी व्यक्ति द्वारा ऑनलाईन म्यूटेशन के आवेदन को क्रमानुसार निष्पादित किया जाता है।
- राजस्व एवं भूमि सुधार द्वारा राजस्व कर्मचारियों के लिए कर्मचारी एप (KCApp) तैयार किया गया है। इस एप के माध्यम से कर्मचारियों द्वारा रैयतों के जमाबंदी का आधार सिडिंग किया जाता है। अब तक कुल 4.08 करोड़ जमाबंदी में 1.27 करोड़ रैयतों का आधार सिडिंग किया गया है।
- कर्मचारी एप से जी.आई.एस. (Geographic information system) लोकेशन एवं अभियान बसेरा 2 के अन्तर्गत पूरे राज्य में वासविहीन लोगों का ब्यौरा एकत्र कर ऑनलाईन संधारित किया जाता है। इस एप के माध्यम से कर्मचारियों द्वारा वासविहीन लोगों को जो भूमि दी जानी है उक्त भूमि सहित लाभार्थी का फोटो खिंचकर एप पर डालना होता है, ताकि किसी भी तरह का विवाद न हो। अब तक 1,16,147 वास विहिन परिवारों में से 10,128 लाभार्थियों को भूमि प्रदान की गयी है।
- बिहार अपने वाटर बॉडीज का एटलस तैयार कर रहा है। दो लाख से अधिक नदी, नहर, पोखर, तालाब, आहर एवं पईन का विस्तृत और प्रामाणिक ब्यौरा जल्द ही आधिकारिक रुप से उपलब्ध हो जाएगा। भारत में भी यह काम सिर्फ बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है। भारत दुनिया में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश है जो वाटर बॉडीज का एटलस तैयार कर रहा है।
- राज्य अंतर्गत भूमि की मापी के कार्य में तीव्रता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ई-मापी पोर्टल विकसित करते हुए दिसंबर, 2023 में क्रियाशील कर दिया गया। इसके माध्यम से नागरिक/रैयत मापी हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है। यदि कोई रैयत मापी के लिए ऑनलाईन भी आवेदन करता है तो संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा अपने स्तर से ऑनलाईन करवाया जाता है। आवेदन देने के 30 कार्य दिवस के अंदर जमीन की मापी की कार्रवाई कर मापी प्रतिवेदन ऑनलाईन/ऑफलाईन आवेदक को उपलब्ध कराया जाता है। इसके तहत तत्काल मापी सेवा का भी प्रावधान है, जिसके लिए कुछ अधिक शुल्क निर्धारित किया गया है। तत्काल मापी के तहत अंचल अमीन द्वारा मापी की कार्रवाई अधिकतम 02 कार्य दिवस के भीतर निष्पादित की जाती है।
- प्रत्येक शनिवार को थाना स्तर पर अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष, प्रत्येक 15 दिन पर अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक तथा महीने में एक दिन जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा भूमि विवाद के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के आधार पर दोनो पक्षों की सुनवाई कर निराकरण करने की कार्रवाई की जाती है।
- अक्टूबर, 2023 से अपर समाहर्त्ता के न्यायालय को ऑनलाईन किया गया है। इसके तहत दाखिल-खारिज पुनरीक्षण वाद तथा जमाबंदी रद्दीकरण वादों को ऑनलाईन दायर करने की सुविधा प्रारंभ की गई है। अब तक कुल 11,430 दाखिल-खारिज पुनरीक्षण वाद मामलों में से 2922 का निष्पादन किया गया है तथा 12,863 जमाबंदी रद्दीकरण वादों में से 2,937 का निष्पादन किया गया है।
- दिसम्बर, 2023 में लैंड कन्वर्जन पोर्टल का निर्माण किया गया। इसके माध्यम से आम नागरिक/रैयत अपने रैयती जमीन का कन्वर्जन यदि व्यवसायिक में कराना चाहते हैं तो वे कहीं से भी ऑनलाईन आवेदन कर रैयती भूमि का व्यवसायिक रुप में कन्वर्जन करा सकते है।
- राजस्व अभिलेखों के आधुनिकीकरण, प्रबंधन एवं रैयतों/नागरिकों को सुगमतापूर्वक अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्तर पर किए गये कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य एवं राज्य के 5 जिलों को वर्ष 2023 में भूमि सम्मान कार्यक्रम के अन्तर्गत प्लेटिनम श्रेणी के अवार्ड से सम्मानित किया गया।

भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत 0612-2217048 पर करें।

Nov. 2024

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

बिहार सरकार

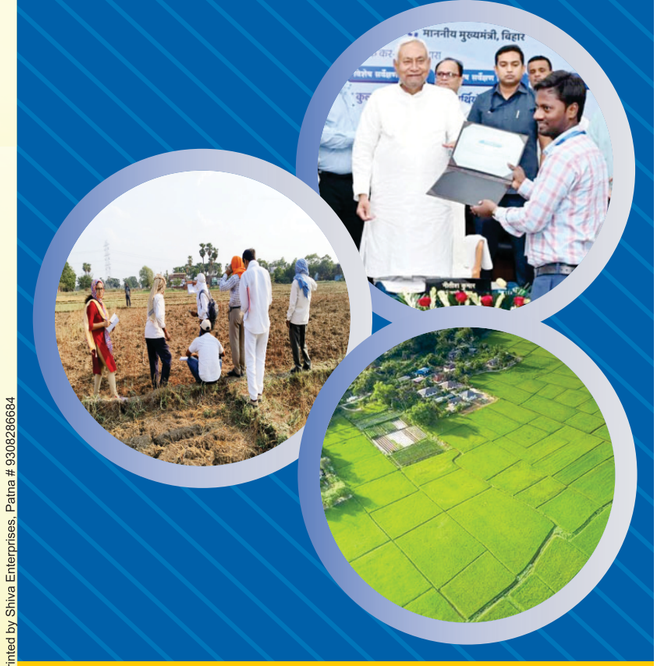

Design & Printed by Shiva Enterprises, Patna # 9308286684

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
तथा
सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग
बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार

माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राज्य में कानून का राज स्थापित किया गया है। समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर राज्य सरकार ने **पारदर्शी एवं उत्तरदायी शासन** की नींव रखी है। सरकार **बिहार के लोगों की सेवा** के लिए संकल्पित है एवं लोगों के हित में व्यापक कदम भी उठाए गए हैं।

विभिन्न प्रक्षेत्रों के विकास एवं उनमें बेहतरी के लिए सुधारात्मक कार्य किए गए हैं। भूमि सुधार के मामलों को भी राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है और इस दिशा में कई प्रभावकारी कदम उठाए हैं। आंकड़े भी दर्शाते हैं कि **ज्यादातर आपराधिक घटनाओं के पीछे भूमि विवाद ही कारण** होता है। औसतन 60 प्रतिशत हत्यायें भूमि विवाद के कारण ही होती हैं। राज्य की आर्थिक स्थिति बेहतर होने के कारण लोगों की आय बढ़ी है एवं जमीन भी महंगी हो गई है जिससे जमीन संबंधी विवाद अधिक बढ़े हैं। 'जनता के दरबार में मुख्यमंत्री' कार्यक्रम में पुलिस एवं राजस्व से संबंधित प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की गई तो सबसे अधिक मामले (60-70 प्रतिशत) भूमि विवाद के पाये गये। भूमि विवादों के निराकरण हेतु माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार के द्वारा प्रभावी कदम उठाये गये हैं तथा इसकी निरंतर समीक्षा उच्च स्तर पर की जाती है। भूमि विवादों को कम करने के लिए सबसे पहले बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम-2009 बनाया गया। फिर पूरे राज्य में राजस्व रिकॉर्ड एवं खतियान को अद्यतन करने के लिए सर्वे एवं सेटलमेंट (Survey & Settlement) का काम शुरू कराया गया। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत भी भूमि संबंधित विवाद के मामलों की सुनवाई करके उनका नियत समय सीमा में निपटारा करने का प्रावधान किया गया। भूमि विवाद के समाधान हेतु राजस्व एवं पुलिस पदाधिकारियों की नियमित बैठकें आयोजित करने का भी निर्देश दिया गया।

जून, 2006 में **भूमि सुधार आयोग** का गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया। **बिहार भूमि सुधार आयोग** द्वारा विचारणीय बिंदुओं पर प्रमुख राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों/ प्रमुख सामाजिक संस्थानों, किसान सभा के प्रतिनिधियों, बिहार के न्यायिक जगत के विद्वानों तथा समाज के विभिन्न हितधारकों से विचार-विमर्श किया गया। आयोग के द्वारा सौंपे गये प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार के द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।

दाखिल-खारिज, भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र, भू-लगान के भुगतान इत्यादि जैसे जनता से जुड़ी हुई सेवाओं में पारदर्शिता लाने एवं उनका समय-सीमा के भीतर निष्पादन हेतु ऑनलाईन व्यवस्था प्रारंभ की गयी। दाखिल-खारिज एवं भूमि संबंधी अन्य मामलों का निपटारा एक समय सीमा के भीतर किये जाने हेतु इन सेवाओं को **बिहार लोक सेवाओं का अधिकार कानून** के तहत लाया गया। पुराने अभिलेखों का बड़े पैमाने पर डिजिटाईजेशन कराया गया। आज कोई रैयत अपनी जमीन का ब्यौरा ऑनलाईन देख सकता है। बड़ी संख्या में राजस्व कार्यों से जुड़े पदाधिकारियों/कर्मियों की नियुक्ति की गई।

वर्तमान में भूमि प्रबंधन, भूमि विवादों के त्वरित एवं निष्पक्ष निष्पादन, भू-अभिलेखों के अद्यतीकरण, वास रहित महादलित एवं अन्य सुयोग्य श्रेणी तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को वास भूमि उपलब्ध कराने तथा आवंटित भूमि से बेदखल होने की स्थिति में दखल दिलाने एवं अन्य कार्यों का निष्पादन **'राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग'** के अंतर्गत किया जा रहा है।

वर्ष 2005 से 2010

- वर्ष 2006 में व्यापक भूमि सुधार नीति निर्माण हेतु राज्य में पहली बार भूमि सुधार आयोग का गठन किया गया। वर्ष 2008 में बिहार भूमि सुधार आयोग से प्राप्त प्रथम अंतरिम प्रतिवेदन के आलोक में भू-दान में प्राप्त संपुष्ट एवं अवितरित भूमि का वितरण सुनिश्चित करने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया।
- वर्ष 2007 में अर्जित की जाने वाली भूमि का मूल्य निर्धारण भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना के तुरंत पहले समरूप भूमि के निबंधन मूल्य पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त जोड़कर तय किया गया।
- वर्ष 2008 में महादलित परिवारों को बास हेतु 4 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने हेतु कार्य प्रारम्भ किया गया।
- वर्ष 2008 में सभी अपर समाहर्ता एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता को नये वाहन उपलब्ध कराये गये ताकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जिन योजनाओं को लागू किया जा रहा था, उससे आम जनता/रैयत लाभान्वित हो रही है कि नहीं इसकी स्थानीय स्तर पर जाकर समीक्षा करते हुए राजस्व प्रशासन के अंतर्गत हो रहे कार्यों में तेजी लाई जा सके।
- वर्ष 2008 में आवास अथवा आवासीय भूमि अधिगृहीत होने पर पांच डिसमिल तक भूमि की प्रतिपूर्ति सहित 10 हजार रु0 अस्थाई आवासन हेतु एवं 5 हजार रु0 गृह सामग्रियों हेतु दिये जाने की व्यवस्था की गई।
- वर्ष 2008 में अधिग्रहित भूमि पर तीन वर्षों से अधिक अवधि से मजदूरी का कार्य करने वालों को 200 दिनों की मजदूरी एवं जॉब कार्ड दिया गया।
- वर्ष 2008 में गृह-विहीनों को गृहस्थल हेतु भूमि बन्दोबस्ती में निःशक्त व्यक्तियों को तीन प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया गया।
- वर्ष 2008 में प्रथम चरण में पुराने शाहाबाद जिले के 38 अंचल एवं गोपालगंज जिले के एक अंचल सहित कुल 39 अंचलों में चकबंदी कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया।
- वर्ष 2009 में महादलित परिवारों को 3 डिसमिल वासभूमि के लिए जमीन क्रय हेतु 20,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। कालांतर में वर्ष 2015 में जमीन 03 डिसमिल के स्थान पर 05 डिसमिल जमीन देने का निर्णय लेते हुए इसके क्रय हेतु 60,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।
- वर्ष 2009 में रेल परियोजना, एन0टी0पी0सी0 बाढ़, एन0टी0पी0सी0 औरंगाबाद, पावर ग्रिड, एस0 एस0 बी0 जाँच चौकी के लिए कुल 8,944 एकड़ जमीन मुहैया कराया गया।
- वर्ष 2009 में भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना अन्तर्गत राज्य के राजस्व ग्रामों के डाटा इन्ट्री का कार्य किया गया।
- बिहार राज्य के सभी 38 जिलों में भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है।
- वर्ष 2009 में भोजपुर, बक्सर, रोहतास तथा कैमूर जिलों के 14,872 मानचित्रों का डिजिटाइजेशन कार्य पूरा किया गया एवं इसकी हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी सर्वे कार्यालय, गुलजारबाग में रखा गया।
- राज्य के पारंपरिक मेलों के विकास, विनियमन एवं प्रबंधन हेतु बिहार राज्य मेला प्राधिकार अधिनियम, 2008 बनाते हुए वर्ष 2009 में मेला प्राधिकार का गठन किया गया। इसके अंतर्गत सुल्तानगंज, श्रावणी, पितृपक्ष और सोनपुर मेलों का बेहतर आयोजन किया गया।
- राज्य स्तरीय प्राधिकार के अध्यक्ष माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग होते हैं। बिहार मेला प्राधिकार में 10 मेलों को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त राजकीय मेलों की संख्या 14 है।
- वर्ष 2009 में सभी जिलाधिकारियों द्वारा प्रति माह प्रत्येक अंचल में एक ही स्थान पर 15 दिन के अन्तराल पर दो राजस्व शिविरों का आयोजन प्रारंभ कर इन शिविरों में दाखिल खारिज, बेदखली, सरकारी और निजी भूमि विवादों के निराकरण पर जोर दिया गया।
- वर्ष 2010 में महादलित विकास योजना अन्तर्गत महादलित परिवारों का सर्वेक्षण कर वास रहित 2,16,829 परिवारों को वास हेतु सर्वप्रथम सरकारी भूमि यथा गैरमजरुआ मालिक/खास, गैर मजरुआ आम तथा वासगीत कानून के तहत दिए जाने वाले पर्चों से आच्छादन का कार्य प्रारंभ किया गया। शेष बचे हुए परिवारों को रैयती भूमि क्रय कर उपलब्ध कराने हेतु "महादलित परिवारों के लिए रैयती भूमि की क्रय नीति" लागू की गयी।
- वर्ष 2010 में 'राष्ट्रीय भू-अभिलेख का आधुनिकीकरण कार्यक्रम' के अन्तर्गत राज्य के सभी 38 जिलों को शामिल किया गया।

वर्ष 2010 से 2015

- वर्ष 2011 में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम अधिसूचित किया गया। इसका उद्देश्य रैयतों के जमीन का नक्शा एवं खतियान का अद्यतीकरण किया जाना है ताकि भूमि विवाद को कम किया जा सके।
- वर्ष 2012 में द्वितीय कृषि रोड मैप लागू करते हुए विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया।
- इसके अंतर्गत वर्ष 2012 में विभिन्न एजेंसियों द्वारा हाईब्रिड विधि से हवाई फोटोग्राफी करायी गयी।
- वर्ष 2014 में आधुनिक तकनीक से अद्यतन राजस्व मानचित्र के निर्माण कार्य हेतु विभाग द्वारा हवाई फोटोग्राफी तथा जमीनी सत्यापन की मिश्रित तकनीक का उपयोग कर री-सर्वे मानचित्र तैयार किया गया।

  वर्ष 2019 में विशेष सर्वेक्षण अभियान में तेजी लाने हेतु 221 विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, 344 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, 3455 विशेष सर्वेक्षण अमीन तथा 364 विशेष सर्वेक्षण लिपिक की बहाली की गयी।

  वर्ष 2012 में राजस्व मानचित्र तथा अद्यतन खतियान का अंचल स्तर पर संधारण तथा भू-धारियों को इसकी आपूर्ति के लिये सभी 534 अंचलों में डाटा केन्द्र-सह-आधुनिक अभिलेखागार भवन के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी। अब तक 455 अंचलों में डाटा केन्द्र-सह-आधुनिक अभिलेखागार भवन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

  वर्ष 2020 में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के प्रथम चरण में 20 जिलों के 89 अंचल एवं 4964 राजस्व ग्रामों में प्रारम्भ किया गया।

  वर्ष 2021 में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम द्वितीय चरण अन्तर्गत 9619 राजस्व ग्रामों में प्रारम्भ किया गया। हवाई सर्वेक्षण एवं मानचित्र की आपूर्ति का कार्य शत-प्रतिशत कर लिया गया है। अब तक 4233 राजस्व ग्रामों में खानापुरी का कार्य पूर्ण तथा 3458 राजस्व ग्रामों में खानापुरी पर्चा एवं एल0पी0एम0 वितरण किया गया है तथा 875 राजस्व ग्रामों में अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन कर मानचित्र बनाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

  विशेष सर्वेक्षण कार्य को पूरे बिहार के 38 जिलों में एक साथ करने एवं उसमें तेजी लाये जाने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर कर्मियों की नियुक्ति की गई। इस क्रम में 510 विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, 10 हजार 11 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, 10 हजार 535 विशेष सर्वेक्षण अमीन एवं 1 हजार 02 विशेष सर्वेक्षण लिपिकों का नियोजन संविदा के आधार पर किया गया। इस प्रकार कुल 13 हजार 58 कर्मियों का नियोजन किया गया।
- राज्य में जमीन के सर्वे का कार्य पूर्ण होने के पश्चात भूमि संबंधी सारे खतियान, नक्शा, डाटा एवं अन्य दस्तावेज ऑनलाईन हो जायेंगे। लगान भी नये सिरे से निर्धारित किये जायेंगे। सर्वे के बाद अंतिम रूप से प्रकाशित खतियान और नक्शा के आधार पर ही आने वाले समय में दाखिल-खारिज समेत अंचल के सभी काम किये जायेंगे। सर्वे खतियान ही अंचल में पंजी-2 के रूप में उपयोग किया जायेगा। दाखिल-खारिज, भूमि की मापी समेत अंचल के सभी काम इसी आधार पर निबटाये जायेंगे।
- बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम से प्राप्त अर्थो फोटोग्राफ डाटा के सत्यापन तथा विशेष सर्वेक्षण मानचित्र के स्थल सत्यापन एवं भू-स्थानिक शुद्धता के दृष्टि से राज्य में कुल 38 जिलों के 35 स्थलों पर CORS (Continuous Operating Reference Station) की स्थापना की गयी। इसकी स्थापना विभाग अन्तर्गत ऑनलाईन सेवायें यथा- 'ई-मापी' कार्यक्रम एवं स्पेशियल म्यूटेशन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है।
- वर्ष 2012 में राज्य के सभी 534 अंचलों में वास-भूमि रहित महादलित परिवारों के पुनर्सर्वेक्षण का कार्य सम्पन्न किया गया।
- वर्ष 2012 में राज्य के 9 जिलों दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, कटिहार, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर के राजस्व अभिलेखों का डाटा विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया।
- राज्य के विभिन्न न्यायालयों में बड़ी संख्या में भूमि विवादों के लंबित रहने के कारण राज्य की जनता को अपने शिकायतों के निवारण हेतु कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार भूमि न्यायाधिकरण अधिनियम, 2009 का गठन किया गया। इस अधिनियम के आलोक में वर्ष 2012 में 1 अध्यक्ष, 02 सदस्य (प्रशासनिक) तथा 02 सदस्य (न्यायिक) का पद सृजित करते हुए बिहार भूमि न्यायाधिकरण को क्रियाशील किया गया।
- भूमि विवाद के मामलों के समाधान हेतु वर्ष 2009 में बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक अनुमंडल में भूमि सुधार उप समाहर्ता के समक्ष वाद दायर किये जाते हैं। इस अधिनियम में सुनवाई एवं निर्णय के लिए 90 दिन निर्धारित हैं। इससे लोगों को निर्धारित समय-सीमा में न्याय मिल जाता है। इसके शुरु होने के बाद से 75 हजार 305 मामले दर्ज किये गये थे, जिसमें से 74 हजार 330 मामलों का निष्पादन हो चुका था।
- वर्ष 2013 में राज्य के सभी 38 जिलों के कैडेस्ट्रल मानचित्रों एवं 24 जिलों के रिविजनल मानचित्रों एवं 18 जिलों के चकबंदी मानचित्रों के अतिरिक्त कैडेस्ट्रल म्यूनिसिपल, रिविजनल म्यूनिसिपल, अंचल मानचित्र, सिंचाई मानचित्र एवं जिला मानचित्रों के उपलब्धता के अनुसार कुल 1,35,865 मानचित्रों का डिजिटाईजेशन कार्य पूरा किया गया।
- वर्ष 2013 में पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर तथा कैमूर जिला के सदर अंचल कार्यालय में प्लॉटर मशीन के माध्यम से राजस्व मानचित्रों की आपूर्ति का कार्य प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2013 में **बिहार भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नया भू-अर्जन अधिनियम** लागू किया गया। इसके तहत बिहार भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियमावली, 2014 का गठन किया गया जिसके तहत राज्य में विभिन्न परियोजनाओं हेतु भू-अर्जन की कार्रवाई की जा रही है।
- वर्ष 2014 में लागू बिहार रैयती भूमि लीज नीति के अंतर्गत आधारभूत संरचनाओं यथा, शैक्षणिक संस्थानों/सड़क/बिजली परियोजनाओं/सम्पर्क पथ/स्टेडियम/बांध/नहर आदि के निर्माण, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास तथा अधिनियम में वर्णित अन्य लोक उद्देश्य के कार्यों के लिए भूमि सतत् लीज पर ली जाती है। सतत् लीज नीति के अंतर्गत भूमि, ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम बाजार दर (एम0भी0आर0) के 4 गुणी एवं शहरी क्षेत्रों में 2 गुणी दर पर रैयतों की सहमति से प्राप्त की जाती है।
- वर्ष 2014 में राज्य के 12 जिलों यथा दरभंगा, मधुबनी, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, पूर्णियां, कटिहार, किशनगंज, अररिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर तथा मधेपुरा के चालू खतियान को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया।
- वर्ष 2014 में ऑपरेशन बसेरा के तहत अभियान चलाकर महादलितों और सुयोग्य श्रेणी के वासभूमि रहित परिवारों की पहचान कर भूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की गयी।
- ऑपरेशन बसेरा कार्यक्रम अन्तर्गत कुल सर्वेक्षित 1,16,603 परिवारों में से अब तक 94,784 परिवारों को वास भूमि उपलब्ध करायी गयी है।
- वर्ष 2015 में राज्य के सुयोग्य श्रेणी के वासरहित परिवारों को वास हेतु 05 डिसमिल जमीन तथा कलस्टर (यथासंभव 20 परिवार) में बसाने के संदर्भ में 05 डिसमिल जमीन प्रति परिवार की दर से 100 डिसमिल जमीन वास हेतु तथा वासभूमि के अलावा 20 डिसमिल अतिरिक्त जमीन आन्तरिक सड़क एवं सामुदायिक भवन के लिए उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नीति लागू की गयी।

वर्ष 2015 से 2020

- वर्ष 2017 में तृतीय कृषि रोड मैप लागू किया गया। कृषि रोड मैप में ऑपरेशन भूमि दखल दहानी के तहत तीन प्रपत्रों में सूचना का प्रकाशन बेवसाईट पर किया गया। प्रथम प्रपत्र में पर्चा प्राप्त लाभुकों की सूची, द्वितीय प्रपत्र में बेदखली लाभुकों की सूची तथा तृतीय प्रपत्र में दखल दिलाये गए लाभुकों की सूची का प्रकाशन किया गया। साथ ही भू-अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत किया गया तथा ऑपरेशन दाखिल खारिज, ऑपरेशन भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र, ऑपरेशन लगान भुगतान की कार्रवाई प्रारंभ की गयी।
- पर्चाधारियों को आवंटित भूमि से बेदखल किये जाने की स्थिति में दखल-कब्जा दिलाने के उद्देश्य से 'ऑपरेशन भूमि दखल-देहानी कार्यक्रम संचालित है। विशेष शिविरों का आयोजन कर बेदखली के मामलों का पता लगाने तथा पुलिस बल की मदद से बेदखल पर्चाधारियों को उनके आवंटित भूमि पर दखल दिलाने का कार्य किया जा रहा है।

  कुल 17 लाख 36 हजार 234 पर्चाधारियों में से 1 लाख 29 हजार 116 बेदखल पर्चाधारियों